C-10

(2) Disability (असमर्थता) / अक्षमता :-

अक्षमता/असमर्थता की अवधारणा बहुत ही व्यापक है। इसके अन्तर्गत शारीरिक एवं मानसिक रूप से अयोग्य बालक सम्मिलित होते हैं।

इस प्रकार अक्षमता की अवधारणा में मानसिक मन्दता, पिछड़ापन, विकलांगता, बाधिता तथा अधिगम अक्षमता को सम्मिलित किया जाता है।

अक्षमता के दो प्रकार के होते हैं :-

(1) शारीरिक अक्षमता (physical Disability)

(2) मानसिक अक्षमता (Mental Disability)

(1) शारीरिक अक्षमता (physical Disability) :-

शारीरिक विकलांगता से अभिप्राय जो शरीर से अक्षम हो। जैसे - देखने, सुनने, बोलने, चलने आदि में कठिनाई का सामना करना पड़ता हो।

शारीरिक अक्षमता (physical Disability)

- (i) दृष्टि (Visual Disability)
- वाणी विकलांगता (Speech Disability)
- श्रवण विकलांगता (Hearing Disability)

Scanned with CamScanner

3. अपंगता (विकलांगता) (Handicapped) :-

अपंगता व्यक्ति की उन समस्याओं से सम्बन्धित है जो बाधिता और विकलांगता के फलस्वरूप होती है।

दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है - इस दोष के कारण सही गति से चलने, खेलने तथा पर्याप्त सामाजिकता की उपलब्धि में कठिनाई अनुभव करते हैं, विकलांगता कहलाता है।

Definition of Handicapped :-

B. N. Tiwari के अनुसार :-

"विकलांगता एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी अवस्था में सामान्य व्यवहार, कार्यशक्ति एवं नियमित कार्यों को न्यूनाधिक प्रभावित कर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावात्मक असंतुलन उत्पन्न कर देती है।"

S.K. Sharma

Scanned with CamScanner

Date

APRIL
FRIDAY
WK 16 • 111-254

21

C-10

APRIL 2017

Unit-III : policies and Act Implementing Inclusive Education : (समावेशी शिक्षा क्रियान्वित नीतियाँ और विधेयक):-

भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम → 1992-2000

भारतीय पुनर्वास परिषद् को सरकार द्वारा यह अधिकार प्राप्त है कि नियोज्य व्यक्तियों को जो भी सुविधाएँ दी जाती हैं उनका क्रियान्वयन करे नियंत्रित करें। यह भारतीय पुनर्वास परिषद् अपने आप में एक सरकारी संस्था है। इसे संसद द्वारा पारित अधिनियम से यह अधिकार प्राप्त है कि नियोज्य, वंचित और विशिष्ट आवश्यकता वाले जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम व कोर्स बनाये गये हैं उनको नियंत्रित करें।

सरकार द्वारा इसकी स्थापना प्रमुख रूप से इसलिए की गयी है कि जो व्यक्ति अपनी अक्षमताओं के कारण समाज से अलग हो गये हैं अथवा समाज द्वारा उनकी योग्यता को किसी एक अक्षमता की होने के कारण नकार दिया गया है, ऐसे व्यक्तियों को भटकने से रोका जाये तथा उनको समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाये। सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति जब समाज की धारा से अलग होता है तो उसके अपराधी, नशेबाजी एवं अन्य कुमार्गों पर चलने की संभावना होती है।

भारत की पुनर्वास परिषद् के उद्देश्य (Aims of Rehabilitation Council of India):-

भारत की पुनर्वास परिषद् के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं जो जिसको ध्यान में रखकर इसकी स्थापना की गयी है:-

(1) शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था करना, जिससे कि समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें।

2017

(ii) शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रम तैयार करना, जोकि उनको समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करा सकें।

(iii) अक्षमता से युक्त व्यक्तियों की सहायता करने में जिन व्यक्तियों तथा संस्थाओं का योगदान होता है उनकी सहायता करना।

(iv) भारत और विदेश में कार्यरत संगठनों के सहयोग के द्वारा पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण के सम्बन्ध में नियंत्रित आधार पर सूचना एकत्र करना।

(v) अक्षम व्यक्तियों के लिये तैयार किये गये कार्यक्रमों में सक्षमता एवं प्रभावशीलता लाना।

(vi) देश के सभी संस्थाओं में समान रूप से इन मानकों को विनियमित करना।

(vii) मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता रखने वाले व्यावसायिकों/कार्मिकों के केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर का रखरखाव करना।

(viii) अक्षम व्यक्तियों को डिप्लोमा/डिग्री प्रदान करने वाली संस्थाओं के बारे में सम्पूर्ण जानकारी रखना, जिससे अक्षम व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का धोखा न हो जाये।

(ix) अक्षम व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं से दूर रखने के लिए अनुसंधान कार्यक्रमों को प्रोत्साहन प्रदान करना।

Function of Rehabilitation committee of India (भारत की पुनर्वास परिषद् के कार्य) :-

इस संस्था द्वारा अक्षम व्यक्तियों के हित में महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन किया गया है तथा छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सराहनीय कार्य प्रस्तुत किये गये हैं। जो

Scanned with CamScanner

(i) अक्षम व्यक्तियों के कल्याणकारी कार्यक्रमों को उचित प्रकार से क्रियान्वित करना, जिससे उनको इस कार्यक्रमों का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके।

(ii) अक्षम व्यक्तियों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के अभिलेख तैयार करना, जिनमें अक्षमताओं के प्रकार एवं उनसे सम्बन्धित समस्याओं का विवरण रहता है।

(iii) अक्षम व्यक्तियों की सहायता करने वाली संस्थाओं एवं समूहों को प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे वे अपने कार्य में सफल हो सकें।

(iv) अक्षम व्यक्तियों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के अभिलेख तैयार करना, जिनमें अक्षमताओं के प्रकार एवं उनसे सम्बन्धित समस्याओं का विवरण रहता है।

(v) अक्षम व्यक्तियों के हितों में कार्य करने वाली संस्थाओं के अभिलेख तैयार करना तथा उनकी सेवाओं का विवरण रखना।

विकलांग व्यक्तियों का अधिनियम - 1995 (persons with Disabilities Act - 1995) :- विकलांग व्यक्तियों के लिये शिक्षण एवं पैनोलिक क्षेत्र की दृष्टि से इस अधिनियम को सन् - 1995 में पारित किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत शारीरिक अक्षमता वाले छात्र - छात्राओं के लिये प्रावधान :-

Provisions of persons with Disabilities Act 1995

1) अक्षमता की स्थिति को परिभाषित करना (Difine the situation of disability) :- इसके अन्तर्गत यह निश्चित

·D. T. D·

Scanned with CamScanner

किया जाता है कि किस सीमा तक व्यक्ति को शारीरिक रूप से अक्षम माना जाये।

ii) समितियों का निर्माण (Formation of Committees):-

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिये समितियों के निर्माण की व्यवस्था की गयी है। इसमें केन्द्र एवं राज्य सरकार के समाज कल्याण मंत्री को अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया जाता। जो समितियों का सुचारु रूप से चलाया जा सके।

iii) पृथक शैक्षिक व्यवस्था (Separate Educational System):-

शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिये पृथक शैक्षिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

a.) शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए पृथक् विद्यालयों की व्यवस्था की जाये, जिससे उनके अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सके।

b.) इन विद्यालयों की संरचना भी शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के अनुरूप होनी चाहिए जिससे इनको कोई असुविधा न हो।

c) इन छात्रों को पृथक शिक्षण विधियों से शिक्षण कराया जाये, जिससे इनके अधिगम स्तर को उच्च बनाया जा सके।

d). इन विद्यालयों की संरचना भी शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के अनुरूप होनी चाहिए जिससे अक्षम व्यक्तियों कोई असुविधा नहो।

e.) विद्यालयों में शारीरिक अक्षमता के अनुसार उपकरणों की व्यवस्था हो, जिससे अक्षम छात्रों की शिक्षण व्यवस्था में [illegible] उत्पन्न हो सके।

Scanned with CamScanner